परिवहन विभाग, उत्तरांचल

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–17

पौड़ी सम्भाग की अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएं

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय पौड़ी

मैनुअल संख्या–17

पौड़ी सम्भाग की अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएं

मोटरयानों पर लाल एवं नीली बत्ती का प्रयोग :–

(1) **केन्द्र सरकार की अधिसूचना**

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–108 के परन्तुक के खण्ड (3) के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 52(अ) दिनांक 11–01–2002 द्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहे यान में निम्नानुसार लाल बत्ती का प्रयोग किया जाना अनुमन्य किया गया है।

(क) यान के शीर्ष अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :–

(1) राष्ट्रपति ;
(2) उपराष्ट्रपति ;
(3) प्रधान मंत्री ;
(4) भूतपूर्व राष्ट्रपति ;
(5) उपप्रधान मंत्री ;
(6) भारत का मख्य न्यायमूर्ति ;
(7) लोक सभा का अध्यक्ष ;
(8) संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य ;
(9) उपाघ्यक्ष, योजना आयोग ;
(10) भूतपूर्व प्रधान मंत्री ;
(11) राज्य सभा और लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता ;
(12) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ;

(ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती, जब यान देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :–

(1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ;
(2) भारत का नियंत्रक–महालेखा परीक्षक ;
(3) उप सभापति, राज्यसभा ;
(4) उपाध्यक्ष, लोक सभा ;
(5) संघ के राज्य मंत्री ;
(6) योजना आयोग के सदस्य ;
(7) भारत का महान्यायवादी ;

(8) मंत्रिमंडल सचिव ;
(9) तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जो पूर्ण जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हों ;
(10) संघ के उपमंत्री ;
(11) तीनों सेनाओं के स्थानापन्न अध्यक्ष जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक या समतुल्य रैंक के हों ;
(12) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ;
(13) अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग ;
(14) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ;
(15) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग।

(ग) कोई यान, जो ऐसे उच्चपदस्थ व्यक्ति को ले जा रहे हो, जो रैंक, प्रास्थिति और प्रसुविधाओं में ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्सम्बन्धी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए हकदार होगा। ऐसा यान जो उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा उनकी निजी हैसियत में रैंक समनुदेशित की गई है, उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, समनुदेशित तत्स्थानी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(घ) यदि कोई यान जिस के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथास्थिति, अपनी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जैसे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्ति और न्यायाधीश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के सभापति, अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्यों आदि के सम्बन्ध में लाल बत्ती के उपयोग पर ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी करेंगे।

(2) **उत्तरांचल सरकार का शासनादेश**

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–108 के परन्तुक के खण्ड (3) के अधीन परिवहन विभाग उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या – 308/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05–02–2001 सपठित शासनादेश संख्या – 56/परि0/2003 दिनांक 07–02–2003 के द्वारा निम्नलिखित को ले जाने वाले राजकीय वाहन

पर उनके सम्मुख उल्लिखित के अनुसार लाल बत्ती/नीली बत्ती प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1–	महामहीम श्री राज्यपाल	लाल बत्ती टाप पर
2–	उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री उप मंत्री	लाल बत्ती टाप पर
3–	उत्तरांचल के विधान सभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष	लाल बत्ती टाप पर
4–	उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण	लाल बत्ती टाप पर
5–	मुख्य सचिव, उत्तरांचल	बोनट पर छोटी लाल बत्ती
6–	पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल	बोनट पर छोटी लाल बत्ती
7–	जिलाधिकारी, उत्तरांचल	छत पर नीली बत्ती
8–	जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिस जिले में जैसी स्थिति हो)	छत पर नीली बत्ती
9–	उत्तरांचल के न्यायिक सेवा के जिला जज और उनके समकक्ष अधिकारीगण	लाल बत्ती टाप पर

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी व अन्य को लाल बत्ती व नीली का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

सड़क का नियम विनियम, 1989

(Rule of the Road Regulations, 1989)

मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–118 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या – एस0ओ0 439 (ई0) दिनांक 12–06–1989 द्वारा मोटरयानों के चालन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाये हैं –

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ** –

   (क) ये विनियम ''सड़क के नियम विनियम, 1989'' कहलायेंगे।
   (ख) ये जुलाई, 1989 के प्रथम दिवस से प्रभावशील होंगे।

2. **बांये चलना** – मोटरयानों के चालक (ड्राइवर) यान को सड़क के बांये हाथ की ओर इतना सटकर चलायेंगे, जितना समीचीन (उचित) हो सके और वे सम्पूर्ण यातायात को जो कि विपरीत दिशा में जा रहा है अपने दांये हाथ की ओर से गुजरने (जाने) देंगे।

3. **बांये और दांये मुड़ना** – मोटरयान का चालक –

   (क) जब वह बांयी ओर मुड़ रहा हो, तो वह उस सड़क के जिससे वह मोड़ ले रहा है और सड़क जिसमें वह प्रवेश कर रहा है, के बांये हाथ की ओर (साइड) को जितना सटकर (नजदीक) रह सके, मोटरयान चलायेगा।

   (ख) जब वह दांयी ओर मुड़ रहा हो, तो वह जितना नजदीक हो सके उतना उस सड़क के बीच में रहेगा। जिसके साथ वह चल रहा है और जिस सड़क में वह प्रवेश कर रहा है, उसके बांये हाथ की ओर जितना नजदीक गुजर सके उधर पहुंचेगा।

4. **दांयी ओर से पार करना** – जैसा कि विनियम–5 में दिया गया है उसके अलावा, मोटरयान का चालक जिस दिशा में वह स्वयं जा रहा है, उसी दिशा में जा रहे यातायात के दांयी ओर से आगे पार कर सकेगा।

5. **बांये पार करना** – मोटरयान का चालक किसी यान के बांयी ओर से पार कर (गुजर) सकता है, जबकि उसका चालक दांयी ओर मुड़ने के इरादे का संकेत देने के बाद सड़क के बीच की ओर चला गया है और एक ट्राम–कार या अन्य यान को, जो स्थिर लोहे की पटरियों पर चलती है, चाहे इसी दिशा में जिसमें वह जा रहा है या अन्यथा, किसी भी ओर से पार कर सकता है। परन्तु यह है कि किसी भी दिशा में ट्राम–कार को

ऐसे समय पर या ऐसे तरीके से पार नहीं किया जायेगा जिससे सड़क का अन्य उपयोग करने वाले व्यक्तियों को, जिनमें ट्राम–कार से उतरने व चढ़ने वाले सम्मिलित है खतरा या असुविधा कारित होने की सम्भावना है।

6. **कुछ दशाओं में आगे निकलने (ओवरटेकिंग) का निषेध** – मोटरयान का चालक उसी दिशा में जा रहे किसी यान को जिस दिशा में वह स्वयं जा रहा है, पार नहीं करेगा :–

(क) यदि उसके पार करने से, उसी दिशा में जा रहे अन्य यातायात के लिये असुविधा या खतरा होने की सम्भावना हो।

(ख) यदि वह ऐसे स्थान पर, कोने से मोड़ या पहाड़ी या अन्य प्रकार की किसी रूकावट के पास है जिससे आगे की सड़क को साफ नहीं देखा जा सकता।

(ग) यदि वह यह जानता है कि चालक जो उसके पीछे आ रहा है, उसे पार करने वाला है।

(घ) यदि उसके आगे चलने वाले चालक ने ऐसा संकेत नहीं दिया है कि उसे पार किया जा सकता है।

7. **पार करने (ओवरटेकिंग) में रूकावट नहीं** – जब मोटरयान के किसी चालक को दूसरे यान द्वारा पार किया जाता है तो वह चालक गति नहीं बढ़ायेगा या किसी भी प्रकार से ऐसी हरकत (कार्य) नहीं करेगा जिससे दूसरे यान को पार करने में कोई रूकावट आये।

8. **सड़क के जंक्शन (चौराहे/तिराहे) पर सावधानी** – मोटरयान का चालक जब सड़क के इण्टर सेक्शन, सड़क जंक्शन, पैदल लोगों के सड़क पार करने के स्थान या सड़क के कोने पर पहुंचता है तो वह धीरे चलेगा और वह ऐसे इण्टर सेक्शन, जंक्शन या क्रासिंग में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक वह इतना सचेत न हो जाये कि वह वहां लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना ऐसा कर सकता है।

9. **सड़क–जंक्शन पर यातायात को रास्ता देना** – मोटरयान का चालक किसी सड़क के इण्टर सेक्शन (तिराहे/चौराहे) में, जहां यातायात को विनियमित नहीं किया जा रहा हो, प्रवेश करते समय यदि प्रवेश की जाने वाली सड़क मुख्य सड़क के रूप में नामित (डेजिगनेटेड) है, तो उस सड़क पर जा रहे यानों को रास्ता देगा और अन्य किसी दशा में अपने दांये हाथ की ओर से इण्टर सेक्शन में आ रहे सारे यातायात को रास्ता देगा।

10. **अग्नि सेवा यानों और एम्बुलैंस (रोगी वाहन) को खुला रास्ता दिया जायेगा** – प्रत्येक चालक किसी अग्नि सेवा यान या एम्बुलैंस के आने पर सड़क के एक ओर हटकर उसको खुला रास्ता देगा।

11. **मार्गाधिकार** – पैदल चलने वालों को नियंत्रित पार–गमन (पैदल पार करने के स्थान पर क्रासिंग) पर मार्ग पर चलने का अधिकार हैं जहां किसी सड़क के साथ पग–डण्डी (फुटपाथ) या साइकिल का रास्ता विशेष रूप से अन्य यातायात के लिये दिया गया है तो वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना, चालक ऐसे फुटपाथ या रास्ते पर गाड़ी नहीं चलायेगा।

12. **''यू'' मोड़ लेना** – कोई चालक उस स्थान पर जहां ''यू'' मोड़ लेना विशेष रूप से मना है और व्यस्त यातायात वाली सड़क पर ''यू'' मोड़ नहीं लेगा। यदि ''यू'' मोड़ की अनुमति है, तो चालक दांयी ओर मुड़ने के लिये हाथ से संकेत प्रदर्शित करेगा, पीछे के दृश्य का देखने के कांच में ध्यान रखेगा और जब मुड़ना सुरक्षित हो, मुड़ेगा।

13. **चालकों द्वारा दिये जाने वाले संकेत (सिगनल)** – सभी मोटरयानों के चालकों द्वारा निम्न संकेतों का प्रयोग किया जायेगा, अर्थात् –

(क) जब गति धीमी करनी हो, तो चालक अपनी दांयी भुजा को हथेली नीचे की ओर रखते हुये यान के दांयी ओर फैलायेगा और (फिर) भुजा को ऊपर–नीचे कई बार इस तरीके से हिलायेगा कि उस संकेत को उसके पीछे आने वाले किसी यान के चालक द्वारा देखा जा सके।

(ख) जब ठहरना (रूकना) हो, तो चालक अपना दांया अग्रबाहु (हाथ) सीधा बाहर की ओर यान के दांयी ओर खड़ा करेगा, और हथेली सामने की ओर रहेगी।

(ग) जब दांयी ओर मुड़ना हो, या सड़क के दांये हाथ की ओर दूसरे यान को पार करने के लिये चलना हो या कोई अन्य प्रयोजन हो, तो चालक अपनी दांयी भुजा को सीधी (धरती के समानान्तर) बाहर की ओर और अपने यान के दांयी ओर फैलायेगा, और उसकी हथेली सामने की ओर मुड़ी रहेगी।

(घ) जब बांयी ओर मुड़ना हो, या सड़क के बांये हाथ की ओर चलना हो, तो चालक अपनी दांयी भुजा को फैलयेगा और उसे घड़ी की उलटी चाल की दिशा में घुमायेगा।

(ङ) जब चालक अपने पीछे के यान के चालक को यह बताना चाहता है कि वह चालक उसे पार (ओवरटेक) कर सकता है तो वह अपनी दांयी भुजा और हाथ को सीधा बाहर की तरफ अपने यान के दांयी ओर फैलायेगा और उस भुजा को आगे पीछे एक अर्द्ध–गोलाकार गति के रूप में हिलायेगा।

14. <u>दिशा निर्देशक</u> – विनियम–12 में बताये गये संकेतों को यांत्रिक या विद्युत यन्त्रों द्वारा भी सरल किया जा सकता है (यानि दिया जा सकता है)।

15. <u>यान को खड़ा करना (पार्किंग)</u> –

(क) मोटरयान का प्रत्येक चालक जो किसी सड़क पर यान को खड़ा करता है उसे इस प्रकार खड़ा करेगा कि उससे सड़क का अन्य उपयोग करने वालों को कोई खतरा, सम्भावित खतरा, अड़चन या अनावश्यक असुविधा कारित न हो और यदि यान खड़ा करने के तरीके को किसी साईनबोर्ड या सड़क की साइड पर निशान (मार्किंग) लगाकर बताया गया हो, तो वह अपने यान को ऐसे तरीके से खड़ा करेगा।

(ख) मोटरयान का कोई चालक अपने यान को (निम्न प्रकार से) खड़ा (पार्क) नहीं करेगा –

(i) किसी सड़क के क्रासिंग, मोड़, पहाड़ी की चोटी, या किसी हिम्पाबेक्ड पुल पर या उसके पास,
(ii) फुटपाथ पर,
(iii) यातायात की लाइट या पैदल क्रासिंग (पार गमन) के पास,
(iv) किसी मुख्य सड़क या तेज यातायात वाली सड़क पर,
(v) किसी खड़े दूसरे यान के विपरीत या किसी दूसरे यान को अड़चन के रूप में।
(vi) दूसरे खड़े यान के साथ,
(vii) सड़कों पर या सड़कों पर ऐसे स्थानों पर जहां लगातार सफेद लाइन है जिसके साथ टूटी लाइन है या नहीं,
(viii) किसी बस स्टॉप, स्कूल, अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास या किसी यातायात चिन्ह या किसी परिसर (स्थान) के प्रवेश को या आग बुझाने के बम्बे (फायर हाइड्रेन्ट) को रोकते (या ढकते) हुये,
(ix) सड़क की गलत साइड पर,
(x) जहां यान खड़े करने (पार्किंग) का निषेध (मनाही) है,
(xi) फुटपाथ के किनारे से दूर।

16. <u>प्रकाशदीपों (लैम्पों) और रजिस्ट्रीकरण–चिन्हों का दिखाई देना</u> –

(क) कोई बोझा (भार) या अन्य माल (सामान) किसी मोटरयान पर इस प्रकार नहीं रखा जायेगा, जिससे किसी लैम्प, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह या अन्य चिन्ह, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी मोटरयान पर ले जाना या प्रदर्शित करना चाहा गया है, ढक दिया जाये या अन्य प्रकार से दृष्टि से ओझल कर दिया जाये, जब तक कि उस लैम्प या लगाये गये चिन्ह या अन्यथा छिप गये

(चिन्ह) के (डुप्लीकेट) के इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस चिन्हित या छिपे हुये लैम्प या चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिये चाहे गये तरीके से प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता।

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी मोटरयान पर प्रदर्शित करना चाहे गये रजिस्ट्रीकरण और अन्य चिन्हों को सदा (सब समयों पर) स्पष्ट तथा दिखायी देने वाली दशा में रखा जायेगा।

17. **एक तरफा यातायात (वन–वे ट्रेफिक)** – कोई चालक –

(i) उन सड़कों पर, जिनको ''एक तरफा मार्ग (वन–वे)'' घोषित किया गया है, साइन बोर्ड पर बतायी गयी दिशा के अलावा मोटरयान नहीं चलायेगा।

(ii) ''एक तरफा'' कही गयी सड़क पर उलटी दिशा में यान को नहीं चलायेगा।

18. **गलीदार सड़कों (चैनेलाइज्ड रोड्स) पर यान चलाना (गली यातायात)** –

(क) जहां किसी सड़क को यातायात के चलाने के लिये गलियों (लैन्स) में चिन्हित किया गया है, वहां मोटरयान का चालक उस गली (लैन) के भीतर गाड़ी को चलायेगा और उचित संकेत देने के बाद ही गली को बदलेगा।

(ख) जहां किसी सड़क को पीली–रेखा द्वारा विभाजित करते हुये चिन्हित किया गया है, वहां समान दिशा में जाने वाला यान एक–दूसरे को पार करने (ओवरटेक करने) की कोशिश करते हुये पीली–रेखा को पार (क्रास) नहीं करेगा।

19. **सड़क के तल पर ठहरने का चिन्ह** –

(क) जहां किसी सड़क जंक्शन पर पहुंचने पर या पैदल यात्रियों के पार–गमन (क्रासिंग) पर या अन्याथा सड़क के तल पर कोई रेखा खींची या बनाई गई है तो चालक अपने मोटरयान को इस प्रकार नहीं चलायेगा कि जब पुलिस अधिकारी द्वारा या यातायात नियंत्रण प्रकाश (लाइटों) द्वारा या किसी यातायात चिन्ह के प्रदर्शन चिन्ह के प्रदर्शन द्वारा ठहरने (रूकने) का संकेत दिया जाये तो उस मोटरयान का कोई भाग उस रेखा के आगे निकल जाये।

(ख) इस विनियम के प्रयोजन के लिये कोई रेखा (लाईन) 50 मि0मि0 से कम चौड़ाई की किसी भाग पर नहीं होगी और ऐसी रेखा सफेद, काली या पीली हो सकेगी।

20. **अनुकर्षण (खींचकर या ढोकर ले जाना)** –

(क) मशीन की खराबी के कारण अपंग हुये मोटरयान या अधूरे तैयार किये गये मोटरयान, रजिस्ट्रीकृत ट्रेलर (ट्राली) या साइड कार के अलावा किसी यान को, सिवाय उस (यान) को सौंपने (डिलीवरी करने) के प्रयोजन के लिये और निकटतम फिलिंग स्टेशन या गैराज पर ले जाने के लिये, किसी दूसरे यान से न तो खींचा जायेगा और न ढोया जायेगा।

(ख) किसी मोटरयान को किसी दूसरे मोटरयान द्वारा खींचकर नहीं ढोया जायेगा, जब तक कि खींचे जाने या ढोये जाने वाले मोटरयान के चालक के स्थान (सीट) पर

यान को चलाने के लिये प्राधिकृत करने वाले लाइसेंस का धारक कोई व्यक्ति न हो या ढोये जाने वाले मोटरयान के स्टीयरिंग पहिये किसी क्रेन या अन्य युक्ति से खींचने या ढोने वाले यान पर सड़क के तल से दृढ़ता से और मजबूती से स्पष्ट ऊपर न कर दिये गये हो।

(ग) जब कोई मोटरयान किसी दूसरे मोटरयान द्वारा ढोया जा रहा हो, तो आगे के यान की पीठ और पीछे के यान के अगले हिस्से के बीच में स्पष्ट दूरी किसी भी समय पांच मीटर से अधिक नहीं होगी। खींचने वाली रस्सियां या जंजीरें इस प्रकार की होंगी, जिनका दूसरे सड़क को उपयोग करने वाले आसानी से भिन्न कर सके (पहचान सकें) और ढोये (खींचे) जा रहे यान की पीठ पर (पीछे) काले अक्षरों में जो पचहत्तर मि0मि0 ऊंचाई से कम नहीं होंगे, सफेद पृष्ठ भूमि पर शब्द ''ON TOW'' स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) कोई मोटरयान जब वह किसी दूसरे यान को, जो ट्रेलर (ट्राली) या साइडकार के अलावा हो, (पीछे लगाकर) ढो रहा हो, तो वह चौबीस किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक गति (चाल) से नहीं चलाया जायेगा।

21. **भौंपू (हार्न) का प्रयोग और शान्ति क्षेत्र** – किसी यान का कोई चालक –

(क) बिना आवश्यकता के या लगातार या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकता से अधिक, भौंपू को नहीं बजायेगा।

(ख) शान्ति क्षेत्रों (साइलेन्स जोन्स) में भौंपू नहीं बजायेगा।

(ग) ऐसे कट–आउट का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे साइलेन्सर के अलावा गैस उत्सर्जित होती हो।

(घ) वह ऐसा मल्टिटोन्ड(**Multitonned**) हार्न नहीं लगायेगा और न प्रयोग करेगा जो कटु, तीखी, तेज या चौंकाने वाली आवाज करता हो।

(ङ) किसी यान को इस प्रकार नहीं चलायेगा जिससे चलते समय बिनचाहा शोर पैदा होता हो।

(च) किसी यान को मफलर(**Muffler**) के साथ नहीं चलायेगा जिससे चौंकाने वाली आवाज होती हो।

22. **यातायात चिन्ह और यातायात पुलिस** – किसी मोटरयान का चालक और सड़क का उपयोग करने प्रत्येक अन्य व्यक्ति

(क) किसी पुलिस अधिकारी या यातायात को विनियमित करने के लिये उस समय प्रभारी किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, चाहे संकेत (सिग्नल) से या अन्यथा, दिये गये प्रत्येक निर्देश का पालन करेगा।

(ख) ऐसे निर्देश का पालन करेगा, जो उस पर लागू होता है और जिसे किसी सूचना (नोटिस) यातायात चिन्ह या संकेत जो लगाया गया है या ऐसा करने के लिये सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है के द्वारा बताया गया।

(ग) सड़क के इण्टर सेक्शन्स (तिराहों/चौराहों) पर लगाये गये स्वचालित संकेत युक्तियों द्वारा बताये गये किसी निर्देश का पालन करेगा।

23. **आगे के यानों से दूरी** – एक मोटरयान का चालक जो किसी दूसरे यान के पीछे चल रहा है दूसरे यान से पर्याप्त दूरी रखेगा, ताकि यदि आगे का यान अचानक धीमा हो जाये या ठहर जाये तो टक्कर लगने से बचा जा सके।

24. **अचानक रोक (ब्रक) लगाना** – किसी यान का कोई चालक अचानक ब्रेक का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा के कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो।

25. **पहाड़ी के ऊपर की ओर जाते यानों को प्राथमिकता दी जायेगी** – पहाड़ी सड़कों और खड़ी चढ़ाई वाली सड़कों पर, पहाड़ी से नीचे की ओर यात्रा करने वाले यान का चालक पहाड़ी के ऊपर की ओर जाने वाले यान को प्राथमिकता देगा, जहां कहीं सड़क इतनी पर्याप्त चौड़ी न हो कि यानों को बिना किसी खतरे के एक दूसरे को पार करने की पूरी छूट मिल सके और ऊपर की ओर जाने वाले किसी यान को निकल जाने के लिये ठहर जायेगा।

26. **चालक को रूकावट** – किसी मोटरयान का चालक किसी व्यक्ति को खड़ा होने या उठने या कोई चीज इस प्रकार या ऐसी स्थिति में रखने की अनुमति नहीं देगा, जिससे उस यान पर उसके नियंत्रण में कोई रूकावट आती हो।

27. **गति को नियंत्रित किया जायेगा** – किसी मोटरयान का चालक, जब किसी जुलूस या सैनिक या पुलिस टुकड़ी को मार्च करते हुये मिले या पास से गुजरे या सड़क की मरम्मत में लगे मजदूरों के पास से गुजरे, तो वह पच्चीस किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक की गति से यान को नहीं चलायेगा।

28. **ट्रेक्टर्स और माल यानों को चलाना** – कोई चालक जब किसी ट्रेक्टर को चला रहा हो, तो वह ट्रेक्टर पर किसी व्यक्ति को न तो ले जायेगा और न उसे ले जाने की अनुमति देगा। माल वाहन (यान) का चालक चालक–कक्ष (केबिन) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या से अधिक को नहीं ले जायेगा और वह किराये या पारिश्रमिक के लिये यात्रियों को नहीं ले जायेगा।

29. **भार (लदान) का झुकाव** – कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटरयान को नहीं चलायेगा, जो इस प्रकार लाद दिया गया है कि उससे किसी व्यक्ति को खतरा कारित हो सकता है या इस तरीके से लाद दिया गया हो कि भार (या लदान) या उसका कोई भाग या कोई चीज बराबर में (यान का) बाडी की साइड से बाहर या सामने या पीछे निकल रही हो या अनुज्ञेय सीमा से अधिक ऊंचाई हो।

30. **खतरनाक वस्तुओं के वहन पर प्रतिबंध** – यान के उपयोग के लिये आवश्यक ईंधन और चिकनाई के अलावा, कोई विस्फोटक, तेजी से ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवायान में नहीं ले जाया जायेगा।

31. **पीछे की ओर (उलटा) चलाने पर प्रतिबन्ध** – किसी मोटरयान का चालक उस यान को इस बात का स्वयं समाधान किये बिना कि इस प्रकार से वह किसी व्यक्ति को कोई खतरा या अनावश्यक असुविधा कारित नहीं करेगा या किसी भी दिशा में यान को घुमाने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक से अधिक लम्बी दूरी या समय के लिये पीछे की ओर (बैकवर्ड्स) नहीं चलायेगा।

32. **प्रलेखों (दस्तावेजों) का प्रस्तुतीकरण** – कोई व्यक्ति जो यान को चला रहा हो

(क) अपनी चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) और यान का रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र, कराधान (टैक्सेशन) का प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र और परिवहन यान के मामले में परमिट और उपयुक्तता, (ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र) भी सदा अपने साथ ले जायेगा (रखेगा)।

(ख) वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या वर्दीधारी मोटरयान विभाग के किसी अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के मांगने पर इन प्रलेखों को निरीक्षण के लिये पेश करेगा।

''परन्तु यह कि जहां कोई या सभी प्रलेख (दस्तावेज) उसके पास (कब्जे) में नहीं है, तो वह मांग से 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से (उन) प्रलेखों के किसी पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य अधिकारी से सम्यक् रूप से सत्यापित दस्तावेज का अंश या के अंश प्रस्तुत करेगा या उस अधिकारी को जिसने वे प्रलेख मांगे हैं, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा''।

33. प्रत्येक चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112, 113, 121, 122, 125, 132, 134, 185, 186, 194 और 207 के उपबन्धों से परिचित होगा।

परिवहन यानों के ड्राइवरों के कर्त्तव्य, कृत्य और आचरण :–

(1) परिवहन गाड़ी का ड्राइवर –

(i) जहां तक अपने कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त रूप से सम्भव हो सके अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन करने के लिये उत्तरदायी होगा,

(ii) ड्यूटी पर रहते हुये धूम्रपान नहीं करेगा या नशे की स्थिति में या ऐसी सीमा तक औषधि के प्रभाव के अधीन जिससे वह गाड़ी के ऊपर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ हो जाय, गाड़ी नहीं चलायेगा,

(iii) यात्रियों और आरक्षित यात्रियों के साथ–साथ नागरिक और सुव्यस्थित व्यवहार करेगा,

(iv) ड्यूटी पर रहते हुये साफ वर्दी पहनेगा,

(v) यान को जिसमें फर्नीचर और फिटिंग भी है, साफ सुथरा और स्वच्छ दशा में और युक्तियुक्त मरम्मत कराकर रखेगा,

(vi) सीमा शुल्क सिविल और शान्तिपूर्ण रीति से ही मांगेगा अन्यथा नहीं,

(vii) किसी अन्य यान पर चढ़ते हुये या चढ़ने की तैयारी करते हुये किसी व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा,

(viii) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट सीटिंग क्षमता और अनुज्ञा–पत्र की शर्तों में खड़ा होकर ले जाये जाने के लिये अनुज्ञात किसी अतिरिक्त संख्या से अधिक किसी व्यक्ति को परिवहन यान में ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(ix) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात भार क्षमता से अधिक परिवहन यान में किसी सामान को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(x) उचित और पर्याप्त कारण के सिवाय वैध किराया देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से या अपनी यान को मांगने पर भाड़े पर उठाने से इन्कार नहीं करेगा,

(xi) जहां यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जाता हो वहां यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त युक्तियुक्त पूर्वोपाय करेगा कि यात्रियों को माल की उपस्थिति के कारण संकट उत्पन्न न हो या अनुचित रूप से असुविधा नहीं हो,

(xii) उचित और पर्याप्त कारण के सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने वैध किराये का भुगतान किया है, यात्रा की समाप्ति से पूर्व गाड़ी से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा,

(xiii) किसी यात्रा पर अकारण इधर–उधर नहीं घूमेगा या अनावश्यक विलम्ब नहीं करेगा अपितु जितना जल्दी हो सके, गाड़ी से सम्बन्धित समय–सारिणी के अनुसार या जहां ऐसी समय–सारणी न हो, वहां समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ेगा,

(xiv) यांत्रिक व्यवधान के कारण या ड्राइवर के नियंत्रण से परे अन्य कारण से किसी मंजिली गाड़ी के अपने गन्तव्य स्थाने की ओर न बढ़ सकने की दशा में, किसी

अन्य तद्सदृश गाड़ी में यात्रियों को गन्तव्य स्थान को ले जाने का प्रबन्ध करेगा पर यदि गाड़ी की असफलता के पश्चात आधे घंटे की अवधि के भीतर ऐसे प्रबन्ध करने में असमर्थ हो, तब मांगने पर प्रत्येक यात्री को यात्रा, जिसके लिये यात्री ने किराया दिया है का समापन करने से सम्बन्धित किराये का एक उचित भाग वापस करेगा,

(xv) किसी मंजिली गाड़ी की दशा में कोई वस्तु गाड़ी में नहीं रखवायेगा या ऐसी रीति से रखे जाने की अनुमति नहीं देगा जिससे यात्रियों को प्रवेश करने या बाहर निकलने में बाधा पड़े,

(xvi) किसी यात्री या भाड़ेदार से माल की ढुलाई के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किराया या भाड़े से अधिक कोई किराया या भाड़ा न तो मांगेगा और न तो स्वीकार करेगा,

(xvii) यदि आवश्यक हो तो यान में चढ़ने या उससे उतरने में और अपने सामान को लादने और उतारने में यात्री की सहायता करेगा,

(xviii) किसी मंजिली गाड़ी की दशा में मंजिली गाड़ी में परिवाद पुस्तक ले जाने के लिये उत्तरदायी होगा,

(xix) ड्राइवर के सीट के लिये आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति को, पशु या वस्तु को न तो रखने देगा और न रखने की अनुमति देगा जिससे कि सड़क स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ने में या यान के समुचित नियंत्रण रखने में रूकावट हो,

(xx) यात्रियों को आकर्षित करने के लिये जोर की आवाज नहीं लगायेगा।

(xxi) अधिनियम के अधीन बनाये गये और प्रवृत्त ऐसे किन्हीं नियम या विनियम के, जो कतिपय विनिर्दिष्ट स्थानों पर या उनके सिवाय यात्रियों को चढ़ने या उतरने से प्रतिषेध करते हैं, अधीन रहते हुये कण्डक्टर या किसी यात्री की जो यान से उतरना चाहता हो, मांग या सिगनल पर और तब तक यात्री बनने के लिये इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या सिगनल पर, जब तक कि यान में कोई जगह नहीं रह जाती, किसी सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में पर्याप्त समयावधि के लिये आराम करने के लिये यान को लायेगा,

(xxii) किसी ऐसे यान को, यात्रियों या माल को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाये के सिवाय, किसी सार्वजनिक स्थान में न खड़ा होने देगा और न इधर–उधर घूमायेगा और न ऐसा करने की अनुमति देगा,

(xxiii) किसी अन्य परिवहन यान के ड्राइवर, कण्डक्टर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को उसके कारबार के संव्यवहार करने से न तो सदोष रोकेगा और न रोकने की चेष्टा करेगा,

(xxiv) ऐसे स्थान पर या उसके निकट जहां कोई अन्य सार्वजनिक सेवा यान उसी प्रयोजन के लिये विश्राम पर हो, किसी यात्री को चढ़ाने या उतारने के प्रयोजनों के लिये जब विश्राम करने के लिये अपनी गाड़ी को ला रहा हो तब वह गाड़ी को इस प्रकार नहीं चलायेगा कि अन्य गाड़ी के ड्राइवर या कण्डक्टर या किसी

व्यक्ति, जो उस पर चढ़ रहा हो या चढ़ने की तैयारी कर रहा हो या उससे उतर रहा हो, खतरा, असुविधा या बाधा पहुंचे और अपनी गाड़ी को अन्य गाड़ी के सामने या उसके पीछे और सड़क या स्थान के बायें तरफ विश्राम करने के लिये लायेगा,

(xxv) अपनी गाड़ी को हर समय उपयुक्त और उचित दशा में रखने के लिये समस्त युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता बरतेगा और जब गाड़ी या उसका कोई ब्रेक टायर या लैम्प त्रुटि पूर्ण दशा में हो जिससे किसी यात्री या अन्य व्यक्ति पर खतरे की सम्भावना हो या जब गाड़ी की टंकी में पर्याप्त ईंधन न हो जिससे कि वह मार्ग पर अपने पेट्रोल भरने वाली स्टेशन पर पहुंच न सके जानबुझ कर अपनी गाड़ी को नहीं चलायेगा, और

(xxvi) माल वाहन का ड्राइवर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रपत्र एस0आर0–3 में एक अभिलेख रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और परिवहन विभाग के किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) मोटर टैक्सी का ड्राइवर उक्त उल्लिखित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त –

(एक) युक्तियुक्त कारण के अभाव में उस गन्तव्य स्थान के लिये न्यूनतम दूरी वाले जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले मार्ग से आगे बढ़ेगा जिसके लिये गाड़ी को किराये पर उठाया गया है,

(दो) न तो अपनी टैक्सी को जब वह इस प्रयोजन के लिये नियत स्टैण्ड से भिन्न स्थान पर रूकने के लिये अलग कर दिया गया हो, अपनी गाड़ी को भाड़े पर उठाये जाने के लिये किसी लोक स्ट्रीट, सड़क या स्थान पर इस प्रयोजन के लिये इधर–उधर घूमने की अनुमति देगा।

मंजिली गाड़ी के कण्डक्टर के कर्त्तव्य, कृत्य और आचरण :–

(1) मंजिली गाड़ी का कण्डक्टर –

(i) अपने कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए जहां तक युक्तियुक्त रूप से सम्भव हो अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा,

(ii) ड्यूटी पर ही धूम्रपान नहीं करेगा या गाड़ी का संचालन नशे की हालत में या ऐसी सीमा तक किसी औषधि के प्रभाव के अधीन रहकर जिससे कि स्वयं पर समुचित नियंत्रण रखना असम्भव हो जाय, नहीं करेगा,

(iii) यात्रियों या जाने का इरादा रखने वाले यात्रियों के साथ नागरिक और अनुशासित रीति से व्यवहार करेगा,

(iv) ड्यूटी पर स्वच्छ वर्दी पहनेगा,

(v) गाड़ी को साफ सुथरी और स्वच्छ रखेगा,

(vi) नागरिक और शान्ति रीति के सिवाय किराया/शुल्क नहीं मांगेगा,

(vii) किसी अन्य गाड़ी में चढ़ने वाले या चढ़ने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा,

(viii) गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट बैठने की क्षमता से अधिक किसी मंजिली गाड़ी में ले जाये जाने के लिए किसी व्यक्ति को और किसी अतिरिक्त संख्या को जिसे अनुज्ञा–पत्र के निर्बन्धनों के अधीन खड़ा होकर ले जाने की अनुज्ञा दी गयी है जैसा कि गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है, अनुमति नहीं देगा,

(ix) मंजिली गाड़ी में गाड़ी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अनुज्ञात भार क्षमता से अधिक किसी माल को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(x) उचित और पर्याप्त कारणों के सिवाय, विधिक किराया देने वाले किसी व्यक्ति को ले जाने से या अपनी गाड़ी की मांग किये जाने पर किराये पर उठाने से इन्कार नहीं करेगा,

(xi) जहां गाड़ी में यात्रियों के अतिरिक्त माल ले जाया जाय वहां यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोपाय करेगा कि माल की उपस्थिति के कारण यात्रियों को कोई खतरा या अनुचित असुविधा न हो,

(xii) उचित और पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसे किसी व्यक्ति से जिसने विधिक किराये का भुगतान कर दिया हो उसकी यात्रा की समाप्ति के पूर्व गाड़ी से उतरने की अपेक्षा नहीं करेगा,

(xiii) इधर–उधर नहीं घूमेगा और न किसी यात्रा में अनुचित विलम्ब करेगा किन्तु अपने गन्तव्य की ओर उतनी निकटता से जितनी गाड़ी से सम्बन्धित समय–सारणी के अनुसार हो सके या जहां ऐसी कोई समय–सारणी न हो, वहां समस्त युक्तियुक्त शीघ्रता से बढ़ेगा,

(xiv) यांत्रिक खराबी या ड्राइवर या कण्डक्टर के नियंत्रण से परे अन्य कारण से उसके गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ने में असमर्थ हो जाने पर यात्रियों को किसी अन्य तत्सदृश गाड़ी में ले जाने का प्रबन्ध करेगा या यदि गाड़ी की असफलता के पश्चात् आधे घंटे की अवधि के भीतर ऐसा प्रबन्ध करने में असमर्थ हो तो मांग किये जाने पर प्रत्येक यात्री को असमाप्त यात्रा, जिसके लिए यात्री ने किराये का भुगतान कर दिया है, सम्बन्धित किराये के समुचित भाग को वापस करेगा,

(xv) गाड़ी में ऐसी रीति से जिससे यात्रियों को प्रवेश करने या बाहर निकलने में रूकावट पैदा हो, किसी चीज को नहीं रखवायेगा या रखे जाने की अनुमति नहीं देगा,

(xvi) माल की ढुलाई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किराये या भाड़े से भिन्न किसी यात्री या भाड़े पर लेने वाले से कोई किराया या भाड़ा नहीं मांगेगा और न उसे स्वीकार करेगा,

(xvii) जहां आवश्यक हो यात्रियों को गाड़ी में प्रवेश करने या उसे छोड़ने और उनके सामान को चढ़ाने या उतारने में सहायता करेगा। माल चढ़ाते समय कण्डक्टर

ऊपर जायेगा और यात्री या उसका अभिकर्ता अपने सामान को जिसे गाड़ी के शीर्ष पर कण्डक्टर द्वारा समुचित रूप से रखा जायेगा, ऊपर उठायेगा, उतारते समय कण्डक्टर यात्री या उसके अभिकर्ता के लिए समान नीचे करेगा जो जमीन पर खड़े होकर उसको उससे ले लेगा,

(xviii) ड्राइवर द्वारा कर्मी रहित रेलवे क्रासिंग पर गाड़ी को रोके जाने के पश्चात् वहां उतरेगा और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि कोई रेलगाड़ी (ट्रेन) या अन्य रेलगाड़ी (वेहिकिल) रेलवे ट्रैक पर नहीं आ रही है, ड्राइवर को उसे पार करने के लिये संकेत देगा,

(xix) यात्री गाड़ी में परिवाद पुस्तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा,

(xx) ड्राइवर के सीट के लिए आरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति, पशु या चीज को न रखवायेगा और न वहां उनके होने की अनुमति देगा जिसके कारण गाड़ी के समुचित नियंत्रण के लिए सड़क की स्पस्ट दृष्टि रखने में उसको रूकावट हो,

(xxi) ऐसे किसी प्रवृत्त नियम या विनियम के अधीन रहते हुए जो यात्रियों के कतिपय विनिर्दिष्ट स्थान पर या उसके सिवाय चढ़ाने या उतारने से निषेध करता हो, गाड़ी से उतरने की इच्छा करने वाले किसी यात्री की दशा में और जब तक गाड़ी में स्थान का अभाव न हो, यात्री बनने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या संकेत पर पर्याप्त समयावधि तक विश्राम करने के लिए गाड़ी को लाने के लिए ड्राइवर को संकेत देगा।

(xxii) किसी ऐसी गाड़ी को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्थान और रीति को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों को एकत्र करने के प्रयोजनार्थ न तो खड़ा करायेगा और न इधर–उधर घुमायेगा और न उसको ऐसा करने की अनुमति देगा,

(xxiii) ड्राइवर, कण्डक्टर या किसी अन्य सार्वजनिक सेवायान के प्रभारी व्यक्ति को अपने कारबार के साथ एकसा व्यवहार में सदोष न तो रोकेगा और न रोकने का प्रयास करेगा,

(xxiv) जब तक गाड़ी की अधिकतम यात्री क्षमता पूरी नहीं हो जाती किसी यात्री द्वारा विधिक किराये के भुगतान पर शीघ्र टिकट जारी करेगा,

(xxv) किसी यात्रा के पूर्ण होने पर किसी यात्रा द्वारा छूट गयी किसी वस्तु के लिए गाड़ी में युक्तियुक्त तलाशी करेगा और इस प्रकार पायी गयी किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और प्रथम युक्तियुक्त अवसर पर अधिक से अधिक 24 घण्टे के भीतर उसे गाड़ी के अनुज्ञा पत्रधारी के किसी कार्यालय या स्टेशन पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति को या किसी पुलिस थाने पर किसी प्राधिकारी को सौंप देगा और उसी तरह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार पायी गयी किसी वस्तु को अपनी अभिरक्षा में लेगा और उसका निस्तारण करेगा,

(xxvi) ड्राइवर की सहायता करेगा और पीछे से आने वाली अन्य मोटर यानों पर दृष्टि रखेगा और ड्राइवर को उनके पहुंचने का संकेत देगा,

(xxvii) जब यह ड्यूटी पर हो यान का प्रयोग अविधिमान्य या अनैतिक प्रयोजनों के लिए किये जाने की अनुमति नहीं देगा,

(xxviii) जब इंजन गति में ही ईंधन की टंकी में कोई ईंधन उड़ेलने की अनुज्ञा नहीं देगा,

(xxix) यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर घायल व्यक्तियों की सहायता करने का और निकटतम पुलिस थाने को तुरन्त सूचना देने का युक्तियुक्त प्रयास करेगा,

(xxx) शिशुओं, विकलांगो, गर्भवती महिलाओं, वृद्धवय यात्रियों और गोद में बच्चा लिये हुये महिलाओं को गाड़ी में चढ़ने या उससे उतरने में सहायता करेगा,

(xxxi) जब ड्राइवर यान को पीछे कर रहा हो तब यान से उतर जायेगा और यान के ट्रैक में अन्य मोटर गाड़ियों या किसी अन्य बाधा पर दृष्टि रखेगा और ड्राइवर को प्रभावी संकेत देगा,

(xxxii) यान में किसी विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं देगा,

(xxxiii) सामान गलत जगह ले जाए जाने या उसके खो जाने को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त एहतियात बरतेगा,

(xxiv) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह जानता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है यान में न तो प्रविष्ट होने देगा और न ही प्रवेश करने की अनुमति देगा,

(xxxv) किसी यात्री को आकर्षित करने के लिए जोर की आवाज नहीं लगायेगा।

मंजिली गाड़ियों में यात्रियों का आचरण –

(1) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में जब वह गति में हो, प्रवेश नहीं करेगा, न उसे छोड़ेगा, न उसमें प्रवेश करने या उसे छोड़ने की चेष्टा करेगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रवेश या निकास के प्रयोजन के लिए प्राविधानित मार्ग द्वार के सिवाय किसी मंजिली गाड़ी में न तो प्रवेश करेगा और न उससे उतरेगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उससे उतरने वाले समस्त यात्रियों को उतरने का अवसर न देगा।

(4) कोई व्यक्ति जानबूझकर या इरादे से यात्री क्षमता की सीमा के अनुसार अधिकतम संख्या में यात्रियों को ले जा रही मंजिली गाड़ी में प्रवेश नहीं करेगा।

(5) कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति ड्राइवर के प्लेटफार्म पर नहीं चढ़ेगा न उससे बातचीत करेगा, और न उसको बाधा पहुंचायेगा या अन्यथा मंजिली गाड़ी के ड्राइवर का जब वह गाड़ी चला रहा हो ध्यान दूसरी ओर हटायेगा।

(6) कोई यात्री परमिट धारक के किसी कर्मचारी को मंजिली गाड़ी में उसके कर्त्तव्य के निष्पादन में बाधा नहीं पहुंचायेगा।

(7) कोई यात्री मंजिली गाड़ी के किसी सीट पर अपना पांव नहीं रखेगा।

(8) वास्तविक यात्री या इच्छुक यात्री के सिवाय कोई व्यक्ति जो परमिट धारक द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति न हो, मंजिली गाड़ी पर नहीं चढ़ेगा और कोई यात्री किसी मंजिली गाड़ी के किसी बाहरी भाग की ओर नहीं लटकेगा।

(9) कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में नहीं चढ़ेगा जब तक वह पास धारण नहीं करता हो या यात्रा के लिए जिसे वह करना चाहता हो किराये का भुगतान करके टिकट न प्राप्त कर लिया हो।

(10) कोई टिकट केवल उस यात्रा के लिए और उस मंजिली गाड़ी के लिए जिसके लिए वह जारी किया गया हो, विधिमान्य होगा।

(11) कोई यात्री किसी मंजिली गाड़ी में ऐसे गन्तव्य स्थान के, जिसके लिए उसने ऐसे किराये का जो उसे यात्रा करने के लिए हकदार बनाता हो, भुगतान किया हो, कण्डक्टर को सूचना दिए बिना और अतिरिक्त यात्रा के लिए विधिक किराया दिये बिना आगे यात्रा नहीं करेगा। प्रत्येक यात्री जब ऐसा अपेक्षित हो उस बस से जिसमें यह यात्रा कर रहा हो मार्ग के उस टर्मिनल पर जिसके लिए वह टिकट लिया हो, उतर जायेगा।

(12) यदि किसी मंजिली गाड़ी में कोई यात्री किसी समय –

(i) उच्श्रृखल व्यवहार करता हो, या

(ii) ऐसा व्यवहार करता है जिससे स्त्री यात्री को क्षोभ हो, या

(iii) गाली–गलौज करता हो, या

(iv) किसी अन्य यात्री का उत्पीड़न करे, या

(v) साथी यात्री के आपत्ति करने के बावजूद या गाड़ी में ईंधन भरे जाते समय धूम्रपान करे, या

(vi) थूकता हो, या

(vii) ड्राईवर या कण्डक्टर को उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन में बाधा पहुंचाता हो, या

(viii) किराये का भुगतान करने से इन्कार करता हो या उसका भुगतान करने में असमर्थ हो, या

(ix) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगने पर टिकट दिखाने से इन्कार करता हो, या

(x) जब उसने अपने टिकट को इस प्रकार परिवर्तित या विरूपित कर दिया हो जिससे कि उसकी संख्या या उसका कोई भी भाग अपठनीय हो जाय, फिर से किराया देने से इन्कार करता हो, या

(xi) किसी विशिष्ट यात्रा के लिए विधिमान्य टिकट से भिन्न किसी टिकट का, या ऐसे टिकट का जिसका किसी अन्य यात्री द्वारा पहले ही प्रयोग किया जा चुका हो, प्रयोग करे या प्रयोग करने का प्रयास करे या किसी अन्य यात्रा पर हो, या

(xii) एक से अधिक सीट को दखल करता हो या किसी अन्य सीट को या तो स्वयं के लिए या किसी अन्य यात्री के लिए रोक रखता हो, या रोके रखने का प्रयास करता हो, या

(xiii) ऐसा कपड़ा पहने हैं या उसके कब्जे में है जिससे किसी अन्य यात्री के ड्रेस या कपड़े के गन्दा होने या क्षति होने की सम्भावना हो या जो किसी अन्य कारण से अन्य यात्री के लिए घृणोत्पादक हो, या

(xiv) ऐसे आकार या प्रकार का सामान रखता हो जिससे किसी अन्य यात्री को बाधा, कष्ट या असुविधा होने की सम्भावना हो, या

(xv) ऐसा कोई पदार्थ या वस्तु ले जाता हो जिससे किसी अन्य यात्री को कष्ट पहुंचने या असुविधा होने या घृणा उत्पन्न होने की सम्भावना हो, या

(xvi) स्त्रियों के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित किसी सीट का दखल करता हो, या

(xvii) जानबूझ कर मंजिली गाड़ी के भीतर या बाहर किसी संधारण (फिटिंग्स) को नष्ट करता हो, क्षति पहुंचाता हो या हटाता हो या मंजिली गाड़ी के किसी लाइट या किसी भाग या उसके उपस्कर में हस्तक्षेप करता हो, या

(xviii) बिना विधिपूर्ण प्रतिहेतु के मंजिली गाड़ी के किसी सिग्नल को बजाता है या हस्तक्षेप करता है, या

(xviv) उसका किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित होने का युक्तियुक्त सन्देह किया जाता हो, या

(xx) अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता हो या उसके करने को दुष्प्रेरित करता हो।

परिवहन विभाग का विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी या ड्राइवर या कण्डक्टर ऐसे यात्री से गाड़ी से तुरन्त उतरने की अपेक्षा कर सकता है और गाड़ी को तब तक रोक सकेगा और उसे खड़ा रख सकेगा, जब तक कि यात्री उतर न जाये। ऐसा यात्री ऐसे किसी किराये की वापसी का हकदार नहीं होगा जिसका उसने भुगतान कर दिया हो और ऐसा अपेक्षा का तुरन्त पालन करने में विफल रहने वाले किसी यात्री को जबरदस्ती कण्डक्टर या ड्राइवर द्वारा हटाया जा सकेगा और वह मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।

(13) ऐसा यात्री जिस पर इस नियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने का सन्देह हो, परिवहन विभाग के किसी विनिर्दिष्ट अधिकारी या ड्राइवर या कण्डक्टर द्वारा मांग किये जाने पर अपना सही नाम और पता ऐसे अधिकारी, ड्राइवर या कण्डक्टर को देगा।

मोटरयान का विनिर्दिष्ट प्रकार

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–41 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या – 451(ई) दिनांक 19–06–1992 द्वारा निम्नानुसार मोटरयानों के प्रकार विनिर्दिष्ट किये हैं :–

क्र0सं0	परिवहन यान	परिवहन यान से भिन्न यान
1.	साइडकार सहित मोटर साईकिल जो माल ले जाने के लिये प्रयुक्त हो	मोटर साइकिल निजी प्रयोग के लिये
2.	ट्रेलर सहित मोटर साईकिल जो माल ले जाने के लिये प्रयुक्त हो	मोटर साईकिल जिसमें ट्रेलर लगा हो जो निजी समान ले जाने के लिये प्रयुक्त हो।
3.	मोटर साईकिल जो पीछे बैठी एक सवारी को किराये पर ले जाने के लिये प्रयुक्त हो और मोटरयुक्त साईकिल रिक्शा जो किराये पर यात्री या माल ले जाने के लिये प्रयुक्त हो	35 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोपेड और मोटरयुक्त साईकिल
4.	मोटर कैब और लक्जरी कैब	अशक्त गाड़ी
5.	माल ले जाने वाले ट्रक/ट्रेकर/मेल कैरियर	तिपहिया गाड़ी जो निजी प्रयोग के लिये हो
6.	ट्रेलर्स	मोटर कार
7.	मैक्सी कैब	फोर्क लिफ्ट (**Fork Lift**)
8.	मंजिली गाड़ी	रिग, जनरेटर, कम्प्रेसर युक्त वाहन या ट्रेलर्स
9.	ठेका गाड़ी और पर्यटक वाहन	वाहन जिनमें क्रेन लगे हों
10.	तिपहिया वाहन जो यात्री/माल ले जाने के लिये प्रयुक्त हो	ट्रेक्टर
11.	सचल क्लीनिक/एक्स–रे लैब/पुस्तकालय वैन	निजी सामान ले जाने के लिये प्रयुक्त ट्रेकर्स
12.	निजी सेवायान	टोवर वैगन्स (**Tower Wagons**) और ट्री ट्रीमिंग वेहिकिल्स (**Tree Trimming Vehicles**)
13.	शिक्षा संस्था बस	निजी प्रयोग में आने वाले ओमनी बस
14.	एम्बुलैन्स	कैम्पर वैन/ट्रेलर जो निजी प्रयोग के लिये हो
15.	सचल कैन्टीन	–
16.	कैश वैन	–
17.	आर्टिकुलेटेड वाहन	–
18.	कैम्पर वैन/ट्रेलर्स	–
19.	पशु एम्बुलैन्स	–
20.	हेरेसस (**Hearses**)	–
21.	सचल वर्कशाप	–
22.	अग्नि शमक, स्नोकर्स लैडर्स, एक्सीलरी ट्रेलर्स और आग पर काबू पाने वाले वाहन	–
23.	ओमनी बस	–

24.	डम्पर/एक्सकेवेटर (**Excavator**)	—

रजिस्ट्रीकरण चिन्ह कोड – पौड़ी सम्भाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों हेतु आवंटित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह कोड निम्नवत् हैं :–

जनपद का नाम	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह कोड
पौड़ी	UA-12
चमोली	UA-11
रूद्रप्रयाग	UA-13

2. पौड़ी सम्भाग के विभिन्न जनपदों/उपसम्भागीय कार्यालयों हेतु आवंटित अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह कोड :–

कार्यालय का नाम	आवंटित अस्थाई रजिस्ट्रीकरण चिन्ह कोड
पौड़ी	UVP,

वर्षवार संचालित वाहनों का विवरण– सम्भाग के अंतर्गत कार्यालयवार एवं वर्षवार संचालित वाहनों का विवरण पत्र :– (On Road Vehicles) (वर्ष 2000–2001 से)

पौड़ी कार्यालय –

वाहन का प्रकार	2000–2001	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1– बस/मिनी बस	24	25	59	81	70
2– ट्रक/मिनी ट्रक	39	58	86	107	49
3– टैक्सी/मैक्सी	112	103	63	85	45
4– कार	101	99	175	236	118
5– मोटर साईकिल	715	976	595	576	817
6– ट्रैक्टर	03	03	05	46	05
7– आटो/विक्रम	12	03	19	11	03
8– डिलीवरी	13	09	37	53	24
8– अन्य	09	10	04	07	11
योग	**1088**	**1286**	**1043**	**1202**	**1142**

कोटद्वार कार्यालय –

वाहन का प्रकार	2000–2001	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1– बस/मिनी बस	––	01	04	04	01
2– ट्रक/मिनी ट्रक	––	10	25	32	09

3– टैक्सी / मैक्सी	–	04	11	11	09
4– कार	–	35	90	86	18
5– मोटर साईकिल	–	179	361	293	113
6– ट्रैक्टर	–	–	–	53	09
7– आटो / विक्रम	–	01	02	02	02
8– डिलीवरी	–	01	31	10	01
योग	**–**	**229**	**524**	**491**	**162**

सम्भाग के अंतर्गत संचालित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल :–

पौड़ी

क्र0सं0	स्कूल का नाम व पता	वाहन का प्रकार जिसके लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है
1.	मैसर्स अषोक मोटर ट्रेनिंग स्कूल, लकड़ी पढाव , कोटद्वार	हल्के एवं भारी वाहन
2.	शषिधर भट्ट मोटर ट्रेनिंग स्कूल मालवीय उधान, कोटद्वार	हल्के वाहन
3.	मैसर्स उत्तराखण्ड ट्रेनिंग स्कूल अपर बाजार श्रीनगर गढ़वाल	हल्के वाहन

सम्भाग के अंतर्गत संचालित प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र :–

पौड़ी –

क्र0सं0	प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र का नाम व पता	डीजल / पेट्रोल
1	ओम आटो मोबाइल्स नजीमाबाद मार्ग कोटद्वार	पैट्रौल एवं डीजल
2	पी0 के0 मोटर्स, कोडिया	पैट्रौल एवं डीजल
3	जी0एम0ओ0यू0 लिमिटेड कोटद्वार	पैट्रौल एंव डीजल

सम्भाग के अंतर्गत कार्यरत मोटर गैराज :–

पौड़ी –

क्र0सं0	**गैराज का नाम व पता**
1	मै0 भट्ट मोटर्स , नजीमाबाद रोड कोटद्वार
2	मै0 ओम आटो मोबाईल्स, नजीमाबाद मार्ग कोटद्वार
3	मै0 पी0के0 मोटर्स कोडिया, नजीमाबाद मार्ग कोटद्वार

मालवाहनों द्वारा ले जाये रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारबार में लगे अभिकर्त्ता :–

पौड़ी

क्र0सं0	**अभिकर्त्ता / एजेन्सी का नाम व पता**
1	मै0 बिष्ट ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मालगोदाम रोड जिला पौड़ी

2	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री नत्थी सिंह रावत ग्राम व पोस्ट चिपलघाट जि0 पौडी
3	श्री दलीप सिंह गुसाई पुत्र श्री उपराव सिंह गुसाई ग्राम किरसाल,पो0कठुड जि0पौडी
4	श्री कुलवीर सिंह रावत पुत्र श्री जगत सिंह रावत, ग्राम व पोस्ट चपलोड़ी जि0पौडी
5	जय भारत जय उत्तराखण्ड ट्रान्सपोर्ट, धारा रोड पौड़ी,
6	श्री सोहन सिंह एन्ड ब्रदर्स पुत्र श्री बुद्धि सिंह ग्रा0 जल्लू पो0 कपरौली जि0 पौड़ी
7	श्री पीताम्बर दत्त उनियाल, उनियाल एंड उनियाल संस, सिविल लाइन पौड़ी
8	श्री भजन सिंह थपलियाल पुत्र श्री महिताब सिंह ग्रा0व पो0 अमोठा जि0 पौड़ी
9	श्री जय दुर्गा ट्रान्सपोर्ट सिविल लाइन पौड़ी
10	श्री डी0एस0राणा पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह राणा, दुगडडा जिला पौड़ी
11	श्री जयराज राजेष्वरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मेनका होटल, श्रीनगर जि0 पौड़ी
12	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दिलवर सिंह ग्राम वाई0एस0नेगी0, धारा रोड पौड़ी
13	मै0 पुनीत जैन, अपर बाजार श्रीनगर जिला पौड़ी।
14	मै0 एम0के0ट्रान्सपोर्ट कम्पनी,अपर बाजार श्रीनगर,
15	मै0 वीरेन्द्र कुमार जैन एंड कं0 अपर बाजार श्रीनगर
16	श्री कुलवीर सिंह रावत, पुत्र श्री जगत सिंह रावत ग्राम व पो0 चपलोड़ी जि0 पौडी
17	श्री यषवन्त सिंह नेगी पुत्र श्री घमंड सिंह ग्राम धारकोट पो0 चम्पेष्वर, घुडदौडस्यूँ जि0 पौड़ी, गडवाल

चमोली

क्र0सं0	अभिकर्त्ता/एजेन्सी का नाम व पता
1	मै0 सयाना ब्रदर्स बस स्टेषन, घाट जिला चमोली
2	श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा– कुँवर फॉरवर्डिग एजेन्सी चमोली,
3	श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री सैन सिंह ग्राम हल्दापानी विकास नगर, गोपेष्वर जि0 चमोली
4	मै0 नेगी फारवडिंग एजेन्सी, गौचर जिला चमोली

रूद्रप्रयाग

क्र0सं0	अभिकर्त्ता/एजेन्सी का नाम व पता
1	सर्व श्री जय सिंह प्रदीप सिंह भंडारी, टान्सपोर्ट कं0 ग्रा0बडैथ जि0 रूद्रप्रयाग
2	श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री कुलजीत सिंह, बद्रीकेदार ट्रान्सपोर्ट, रूद्रप्रयाग
3	श्री जगमोहन सिंह रावत पुत्र श्री जितार सिंह रावत,दुर्गाधार रूद्रप्रयाग
4	श्री बुद्धि सिंह चौहान पुत्र श्री धीरज सिंह ग्राम न्यालसू, पो0रामपुर,जि0 रूद्रप्रयाग
5	श्री आषीष काला पुत्र श्री भगवती प्रसाद काला,अपर बाजार रूद्रप्रयाग जि0रूद्रप्रयाग
6	श्री देवी प्रसाद थपलियाल पुत्र श्री सदानन्द थपलियाल,ग्राम नंदवाड गांव जखोली, रूद्रप्रयाग जि0 रूद्रप्रयाग

कोटद्वार

क्र0सं0	अभिकर्त्ता/एजेन्सी का नाम व पता
1	मै0 प्रभु दयाल रामचन्द्र, नजीमाबाद मार्ग कोटद्वार
2	मै0 राजट्रान्सपोर्ट , नजीबाबाद मार्ग कोटद्वार
3	श्री जगमोहन सिंह, पुत्र श्री गोविन्द सिंह मानपुर, कोटद्वार
4	श्री रमेष चन्द्र माहेष्वरी, नजीबाबाद मार्ग कोटद्वार
5	श्री सुभाष चन्द्र बंसल, पुत्र श्री जगन्नाथ बंसल, नजीबाबाद मार्ग कोटद्वार
6	श्री दौलत राम खडकवाल एन्ड संस लकड़ी पढाव कोटद्वार
7	श्री हरीष खर्कवाल पुत्र श्री सुरेषानन्द, लकडी पडाव , कोटद्वार
8	श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री आलम सिंह नेगी, ग्राम लालपानी पो0कुंभीचौड़,कोटद्वार

****